ज्ञापांक–2391/तक0/2022

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–15वीं जून 2022

सेवा में,

**Krishna Kumar Sharma,**
VANSHIKHA ENTERPRISES,
Plot No.: FE-11, Near Phase-VII, Adityapur Industrial Area, Mauza, Hathiyadih, Block: Seraikella, Distt.: Seraikella-Kharsawan, Jharkhand.

**विषयः–** **मौजा–Dugni, प्लॉट नं0–FE-11, खाता नं0–81, वार्ड नं0–00, थाना–60, जिला–सरायकेला–खरसावॉ में प्रस्तवित फैक्ट्री भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित प्रस्तावित फैक्ट्री भवन के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, आदित्यपुर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–179 दिनांक–11.06.2022 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त फैक्ट्री भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते है :–

1. प्रस्तावित फैक्ट्री के सामनेवाले भाग में कम से कम 1,00,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से पानी लिये जाने हेतु Fire Service Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. पूरे फैक्ट्री परिसर में कम से कम 150 mm डाया का एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक हाईड्रैण्ट तथा 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय। प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो–दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखा जाय।
4. फैक्ट्री परिसर में एक–एक अदद फोम मॉनीटर का संस्थापन कराया जाय।
5. फैक्ट्री के प्रवेश एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
6. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2280 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
7. 180 Lpm क्षमता वाले जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय।
8. समान क्षमता का एक अदद फायर पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
9. फैक्ट्री में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
10. सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।
11. फैक्ट्री की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रिशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
12. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिये कम से कम दो तथा प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट के लिये चार की दर से 06 के0जी0 क्षमता वाले डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र संस्थापित कराया जाय।
13. फैक्ट्री में एक मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रोनिक फायर अलार्म का संस्थापन कराया जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार में समुचित स्थानों पर हो।
14. फैक्ट्री भवन परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।

| | | |
|---|---|---|
| i. DCP Fire Extinguisher 06 kg | - | 04 Nos. |
| ii. Fire Bucket | - | 04 Nos. |
| iii. Form Extinguisher 09 Ltr | - | 02 Nos. |
| iv. Fire Bitter | - | 08 Nos. |

15. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।

16. मेन ईलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
17. वैस्ट मैटेरियल के प्रतिदिन डिस्पोजल हेतु समुचित व्यवस्था की जाय।
18. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय।
19. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
20. फैक्ट्री भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
21. फैक्ट्री भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व फैक्ट्री भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व सेल्फ अप्रेजल चेकलिस्ट के साथ नोटरी पब्लिक द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सभी सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
22. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
23. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
24. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.7 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**(जगजीवन राम)**
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।